न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	73/2017
GSMS प्रकरण संख्या	2017/00073
वाद दायर दिनांक	27.03.2017
वाद निर्णय दिनांक	15.03.2021

उनवान

(1) श्री प्रेमदास पि.केशूदास बैरागी नि.बड़ाखेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— वादी

बनाम

(1) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादी

उपस्थित वकील वादी	श्री विजय कुमार टेलर
उपस्थित वकील प्रतिवादी	श्री पैरोकार सरकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 92 (क) राजस्थान काश्तकारी कानून 1955

आदेश

(1) वादी द्वारा वाद-पत्र माध्यम अधिवक्ता पेश कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि निम्नाकिंत कृषि भूमि मेवाड़ सेटलमेंट के समय वादी के पूर्वज गोमा पि.रिपूदास तथा हीरालाल पि.दौलतराम बैरागी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जिस पर वादी के पूर्वज का कब्जा काश्त तथा उनकी मृत्यु के पश्चात से ही वादी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है -

ग्राम का नाम	संवत	आ.नं.	रकबा
बड़ा खेड़ा	मेवाड़ सेटलमेंट संवत 1984	236	१)
		240	।।।)१
		242	१।)१
		243	।)१
		250	।।।)२
	कुल योग	5	४।)

(2) मेवाड़ सेटलमेंट के दौरान वादी के पूर्वज के [illegible] किसी कारण के और बिना सुनवाई का अवसर दिये ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत बिलानाम [illegible]या। ऐसा मेवाड़ सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों की घोर लापरवाही के कारण हुआ है [illegible] मंशा के विपरीत है जिसके कारण उक्त आराजियात तात्कालिक खातेदारों के वारिसान होने के [illegible] वादी पुनः अपने नाम खातेदारी की घोषणा करवाये जाने का अधिकारी है।

(3) नवीन सेटलमेंट के दौरान उक्त साबिक आराजियात के निम्न नये नम्बर सेटलमेंट विभाग द्वारा कायम किये गये

हाल आ.नं.	रकबा	गत आ.नं.	रकबा
537	17.69	243,240,236	
434	0.06	242	१।)१

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:32:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

427	0.04	250	III)२
445/975	0.61	१८६ १८७	)१ २III)

(4) उक्त साबिक आराजी नम्बरान पर वादी के पूर्वज गोमा तथा हीरालाल का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा था जिस पर वर्तमान में वादी काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा उक्त साबिक आराजियात के वर्तमान निम्न बिलानाम आराजी नम्बर पर लगातार वादी का लम्बे समय से कब्जा काश्त होकर वादी के विरूद्ध धारा 91 LRA के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	बिलानाम आ.नं.	कुल रकबा	कब्जाशुदा रकबा
1	बड़ा खेड़ा	537	17.69	0.44
2		434	0.06	0.06
		427	0.04	0.04
		445/975	0.61	0.10
कुल योग		किता 4		0.64

साथ ही वादी द्वारा उक्त भूमि पर काफी लागत लगाकर भूमि को उपजाऊ बनाया गया है। उक्त आराजियात पर काश्त करके ही वादी अपने परिवार का भरण-पोषण करता चला आ रहा है। इस कारण से 12 वर्षों से अधिक समय से वादी के प्रतिकूल कब्जे / एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादी अपने नाम खातेदारी की घोषणा करवाये जाने का अधिकारी है।

(5) मेवाड़ सेटलमेन्ट के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वादग्रस्त आराजियात को वादी के पूर्वज के नाम दर्ज होने के बावजूद भी बिलानाम दर्ज कर लिया गया है जो कि वर्तमान सेटलमेन्ट में भी इसी के आधार पर बिलानाम ही दर्ज रेकार्ड है। मेवाड़ सेटलमेन्ट के प्रभाव में आने के समय उक्त भूमि बिलानाम दर्ज कर दी थी परन्तु उससे पूर्व उक्त भूमि वादी के पूर्वज के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो कि उक्त भूमि के बिलानाम कर दिये जाने के बावजूद भी लगातार वादी के कब्जे काश्त में है जिसे कि एडवर्स पजेशन के आधार पर भी तथा तात्कालिक खातेदारो का विधिक वारिसान होने के कारण वादी पुनः अपने नाम खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार वादी को उक्त हाल बिलानाम आराजियात में खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार इन्द्राज दुरूस्ती करायी जाकर घोषणात्मक डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है।

(6) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी साबिक रेकार्ड तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमायी जावे कि ग्राम बड़ा खेड़ा पटवार हल्का दांतड़ा तहसील आसीन्द के हाल आ.नं.537 में से रकबा 0.44,आ.नं.434 रकबा 0.06,आ.नं.427 रकबा 0.04 तथा आ.नं.445/975 में से रकबा 0.10 हैक्टर भूमि पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एंव तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करवाते हुये खातेदारी दर्ज की जावें।

(7) प्रस्तुत वादपत्र बाद जांच पत्रावली संख्या 73/2017 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सरकार के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वकील वादी व पैरोकार सरकार उपस्थित है। पैरोकार सरकार द्वारा प्रेषित जवाब –दावा दिनांक 04.05.2017 को शामिल पत्रावली किया गया।

(8) वाद पत्र में निम्नानुसार तनकी कायम की जाकर तनकी पर्चा स्वीकार किया गया –

तनकी नम्बर -1	आया वाके ग्राम बड़ाखेड़ा पटवार हल्का दांतड़ा के साबिक आ.नं.236,240,242,243,250 मीं वादी के पूर्वज श्री गोमा पि.रिपूदास तथा हीरालाल पि.दौलतराम बैरागी के नाम दर्ज रेकार्ड थी — वादी
तनकी नम्बर -2	आया मेवाड़ सेटलमेन्ट के दौरान ग्राम बड़ाखेड़ा के उक्त साबिक आराजी नम्बर 236,240,242,243,250 मीं को बिना किसी कारण के बिना सुनवाई का अवसर दिये ही बिलानाम दर्ज कर दिया गया — वादी
तनकी नम्बर -3	आया कि नवीन सेटलमेन्ट के दौरान उक्त साबिक आराजियात के नवीन आ.नं.537,434,427,445/975 कायम किये गये है। — वादी
तनकी नम्बर -4	आया कि नवीन सेटलमेन्ट के दौरान उक्त साबिक आराजि[illegible] नम्बर 537,434,427,445/975 पर वादी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है [illegible]रा 9[illegible] कार्यवाही भी वादी के हक में की जाती रही है जिसके आधार पर साबिक रेकार्ड एडवर्स पजेशन [illegible] वादी खातेदारी घोषित करवाये जाने का अधिकारी है। — वादी
तनकी नम्बर-5	आया कि वाद पत्र समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा [illegible] 80 जा.दी का नोटिस नहीं दिये जाने से वादी का वाद पत्र खारिज होने योग्य है —प्रतिवादी
तनकी नम्बर -6	अनुतोष ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:32.44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

(9) वकील वादी द्वारा वाद-पत्र के समर्थन मे निम्न गवाहान के बयान कलमबद्ध करवाये तथा निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये

नाम गवाह / दस्तावेजात	PW / EXP
जमाबन्दी मेवाड़ सेटलमेन्ट संवत 1984	EXP -1/02.11.2020
मिलान क्षेत्रफल ग्राम बड़ाखेड़ा	EXP-2 /02.11.2020
नक्शा ट्रेस नवीन भूप्रबन्ध	EXP-3 /02.11.2020
जमाबन्दी प्रतिलिपी संवत 2071-74 ग्राम बड़ाखेड़ा	EXP-4/02.11.2020
धारा -91 नोटिस प्रकरण संख्या 357/13	EXP-5 /02.11.2020
बयान प्रेमदास पुत्र केसूदास बैरागी नि.बड़ाखेड़ा	PW-1 /02.11.2020

(10) वकील वादी की इस्तदुआ पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादी ने वक्त बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुये निवेदन किया कि मेवाड़ सेटलमेंट 1984 में वादी के पिता के नाम दर्ज भूमि को बिना किसी विधिक अधिकार के बिलानाम दर्ज कर दिया गया है जिसमें खातेदारी घोषित किया जाना न्यायसंगत होने से उक्त बिलानाम आराजी में वादीगणों को खातेदार घोषित करने की डिक्री पारित फरमावें। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा होकर चारो तरफ पत्थरों का कोट किया हुआ है। अतः वाद-पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर वादी की कब्जे शुदा भूमि मे वादी के पक्ष में खातेदार घोषित करने की डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया है।

(11) पैरोकार सरकार ने वक्त बहस कथन किया कि गोमा पि.रिपुदास व हीरालाल पि.दौलतराम बैरागी के प्रेमदास विधिक वारिस होने का कोई साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। EXP-1/2.11.2020 पुजारी को शिकमी काश्तकार दर्ज करने का नामान्तरण दर्ज हुआ है। पैरोकार सरकार ने यह भी कथन किया कि साबिक काल से एडवर्स पजेशन वादी का ही चला आ रहा है तो वादी को अन्दर अवधि वाद प्रस्तुत करना चाहिये था। समयावधि में वाद प्रस्तुत नहीं किये जाने से वादी का वाद-पत्र खारिज योग्य होने से वाद –पत्र को खारिज किया जाना फरमावें।

(12) रिपिटल बहस वकील वादी ने कथन किया कि गांव के मौतवीरानों के बयान मे गोमा पि.रिपुदास व हीरालाल पि.दौलतराम बैरागी के विधिक वारिस वादी प्रेमदास का होना स्पष्ट हो रहा है। RTA की तृतीय अनुसूची के अनुसार घोषणात्मक वाद के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नही होने से जानकारी में आने पर वाद कभी भी लाया जा सकता है।

(13) बहस विद्वान अधिवक्ता उभय-पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है –

तनकी नम्बर -1	वादी द्वारा प्रेषित मेवाड़ सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत 1984 EXP-1 के मुताबिक साबिक आ.नं.236 रकबा १), आ.नं.240 रकबा ।।।)१ ,आ.नं.250 रकबा ।।।)२ हीरालाल वल्द दौलतराम बैरागी सा.देह पुजारी तथा आ.नं.242 रकबा १।)१ आ.नं.243 रकबा ।)१ गोमा वल्द रुपदास बैरागी सा.देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी।
तनकी नम्बर -2	मेवाड़ सेटलमेन्ट के दौरान ग्राम बड़ाखेड़ा के उक्त साबिक आ.नं.236,240,242,243,250 मीं को बिलानाम दर्ज करने का कोई आधार राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित नहीं होने से बिना किसी विधिक कारण से उक्त आराजियात को बिलानाम दर्ज कर दिया जाना प्रतीत होता है।
तनकी नम्बर -3	वादी द्वारा प्रेषित मिलान क्षेत्रफल EXP-2 /02.11.2020 के अनुसार नवीन सेटलमेन्ट में उक्त साबिक आराजियात के नवीन आ.नं.537,434,427,445/975 कायम किये जाना पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब बिन्दु संख्या 3 में स्वीकार किया है।
तनकी नम्बर -4	वादी द्वारा प्रेषित धारा -91 नोटिस प्रकरण संख्या 357/13 EXP-5 /02.11.2020 तथा पैरोकार सरकार जवाब बिन्दु संख्या 4 के अनुसार वर्तमान आ.नं.537,434,427,445/975 पर वादी का लगातार कब्जा काश्त होकर वादी द्वारा उक्त भूमि [illegible] साबिक रेकार्ड /एडवर्स पजेशन होने से वादी खातेदारी घोषणा करवाये जाने का [illegible]
तनकी नम्बर-5	RTA की तृतीय अनुसूची के [illegible] होने से जानकारी में आने पर वाद कभी भी लाया जा सकता है।
तनकी नम्बर -6	उक्त सभी तनकियात वादी के पक्ष में पायी जाने से उनका नि[illegible]वादी के पक्ष में किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:32:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

–:क्रियात्मक निर्णय :–

वादी द्वारा माध्यम अधिवक्ता प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92(क) RTA स्वीकार किया जाकर दावा वादी डिक्री किया जाकर निम्नांकित कृषि भूमि मे वादी को खातेदार घोषित किया जाता है –

क्र.सं.	नाम ग्राम	आ.नं.	कुल रकबा	रकबा जिसमें खातेदार घोषित किया गया
1	बड़ा खेड़ा	537	17.69	0.44
2		434	0.06	0.06
		427	0.04	0.04
		445/975	0.61	0.10
कुल योग		किता 4		0.64

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावें। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
(सी.एल. शर्मा)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:32:44 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	73/2017
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2017/00073
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	27.03.2017
प्रकरण निर्णित होने की दिनांक	15.03.2021

उनवान

(1) श्री प्रेमदास पि.केशूदास बैरागी नि.बड़ाखेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— वादी

बनाम

(1) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92(क) काश्तकारी अधिनियम 1955 वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विजयकुमार टेलर तथा प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 15.03.2021 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि –

दावा वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम बड़ाखेड़ा पटवार हल्का दांतड़ा तहसील आसीन्द की सरहद में स्थित निम्नाकिंत कृषि भूमि में वादी को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावें -

क्र.सं.	नाम ग्राम	आ.नं.	कुल रकबा	रकबा जिसमें खातेदार घोषित किया गया
1	बड़ा खेड़ा	537	17.69	0.44
2		434	0.06	रकबा सम्पूर्ण
		427	0.04	रकबा सम्पूर्ण
		445/975	0.61	0.10
कुल योग		किता 4		0.64

इस वाद के खर्चे लेखे ---××××--- रुपये की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर ---××××---प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ---××××---द्वारा ---××××---वादी को दिया जावे।

यह आज तारीख 15.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय मुद्रा से जारी की गयी।

वाद के खर्चे

वदी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद–पत्र के लिए स्टाम्प	4		शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	1	
2.शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	1		[illegible] के लिए स्टाम्प	–	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	7		प्लीडर की फीस	–	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	–		[illegible] के लिए निर्वाह व्यय	–	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–		आदेशिका की तामील	–	
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	1		कमिश्नर की फीस	–	
7. आदेशिका की तामील	–			–	
योग	13		योग	–	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:32:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा